केन्द्र पोषित एवं राज्य योजना

साख संस्थाओं, हेतु योजनाएँ

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ऋण पत्र (डिबेन्चर) मे निवेश

(क) योजना का प्रकार :– केन्द्रीय – क्षेत्रीय योजना

(ख) उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य, लघु सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, भूमि विकास, बागवानी, बंजर भूमि विकास ग्रामीण गृह व्यवस्था, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, ट्रेक्टर एवं अकृषि क्षेत्रों में डिबेन्चर के संचालक से कृषकों/ग्रामीणों को दीर्घावधि ऋण लेने के लिए राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संसाधनों का सृजन एवं बढ़ाया जाना है।

(ग) मुख्य विशेषता :– राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कृषि यंत्रीकरण, लघु सिंचाई, ट्रेक्टर, भूमि विकास आदि उपरोक्त उद्देश्यों में डिबेन्चर के संचालन से कृषकों, ग्रामीण अकृषकों को दीर्घावधि ऋण देने के लिये संसाधनों को बढ़ाता है । बैंक द्वारा संचालित डिबेन्चरों (ऋण पत्रों) में नाबार्ड, (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) राज्य शासन, केन्द्र शासन तथा अन्य वित्तीय संस्थान योगदान देते हैं। वर्तमान में निम्नानुसार प्रतिशत अंशदान कृषि/अकृषि ऋणों हेतु प्रचलित है।

क्र.	ऋण का प्रकार	नाबार्ड का अंशदान	केन्द्र का अंशदान	राज्य का अंशदान
1.	कृषि ऋणों पर	95 प्रतिशत	2.5 प्रतिशत	2.5 प्रतिशत
2.	अकृषि प्रयोजन हेतु	100 प्रतिशत	––	––

(घ) सहायता पद्धति :– राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वार्षिक कार्ययोजना (ऋण वितरण कार्यक्रम) जो नाबार्ड से अनुमोदित हो, के आधार पर राज्य शासन द्वारा प्रत्याभूति एक्ट के अधीन शासकीय गारंटी (प्रत्याभूति) के आधार पर पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ.ग. रायपुर (बैंक की नस्ती छ.ग. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक्ट 1999 के प्रावधान अनुसार) की अनुमति पश्चात बैंक ऋण पत्र नाबार्ड राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के पक्ष में ऋण पत्र (डिबेन्चर) निर्गमित करती है।

(ङ) पात्रता :– राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक रायपुर।

(च) आवेदन प्रक्रिया :— राज्य शासन की गारंटी प्राप्त कर राज्य शासन का हिस्सा 2.5 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा पंजीयक की अनुशंसा पर पहले निर्गमित करती है। राज्य शासन के अंश प्राप्ति पश्चात नाबार्ड अपना 95 प्रतिशत राशि बैंक को निर्गमित करती है। साथ ही साथ नाबार्ड द्वारा केन्द्र शासन के अंशदान हेतु प्रस्तावित करती है। केंद्रांश सीधे बैंक को प्राप्त होती है।

(छः) संपर्क व्यक्ति :— श्री एन.एल. टण्डन, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, (साख) पंजीयक कार्यालय तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) से संपर्क कर विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

(ज) प्रारंभ की तारीख/अवधि :— 1966—67 से चलाई जा रही है।

(झ) क्रियान्वयन स्तर :— यह राज्य की नियमित योजना है और वर्ष 1966—67 से क्रियाशील है।

कृषि साख स्थिरीकरण निधि को सुदृढ़ करना —

(क) प्रकार :— केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

(ख) उद्देश्य :— इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के कारण लघु अवधि के सहकारी कृषि ऋणों को मध्य अवधि ऋणों में परिवर्तित किसानों की सहायतार्थ राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर कृषि साख स्थिरीकरण निधि का रख रखाव किया जाता है। इस निधि में कमी की पूर्ति के लिए राज्य शासन द्वारा ऋण एवं अनुदान के रूप में राशि प्रदाय की जाती है, जिससे बैंक आगामी वर्ष के लिए किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध करा सके।

(ग) मुख्य विशेषता :— प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को उनके अल्पावधि के ऋणों को मध्य अवधि ऋणों में परिवर्तित किया जाता है। आगामी वर्ष के अल्पावधि कृषि ऋणों की पूर्ति बैंक द्वारा कृषि साख स्थिरीकरण निधि से किया जाता है। कृषि साख स्थिरीकरण निधि में निम्नानुसार भागीदारी सम्मिलित है।

1.	राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक)	15 प्रतिशत
2.	जिला सहकारी बैंक	10 प्रतिशत
3.	राज्य शासन की भागीदारी	15 प्रतिशत
4.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	60 प्रतिशत

राज्य शासन अपने हिस्से का 15 प्रतिशत ऋण एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराती है। यह योजना केन्द्र के मेक्रो मैनेजमेंट में सम्मिलित की गई है। राज्य शासन से निधि की कमी के आधार पर 80 प्रतिशत ग्रांट एवं 20 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त कर सकती है।

(घ) पात्रता :— राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) रायपुर।

(च) आवेदन की प्रक्रिया :– संबंधित संस्था अपने संचालक मण्डल से प्रस्ताव पारित कराकर राज्य शासन से परिवर्तन ऋण हेतु शासकीय प्रत्याभूति प्राप्त करती है। राज्य शासन के हिस्से का 15 प्रतिशत राशि प्राप्त होने पर नाबार्ड अपना 60 प्रतिशत निम्न लिखित शर्तों के अधीन बैंक को पुर्नवित्त प्रदान करती है।

1. राज्य शासन की गारंटी का प्रस्तुतीकरण
2. परिवर्तन के 15 प्रतिशत के हिस्से की पूर्ति के लिए राज्य सरकार से ठोस वायदा प्राप्त करना। सरकार के हिस्से की वास्तविक प्राप्ति ।
3. प्रभावित क्षेत्रों में भूमि राजस्व एवं अन्य सरकारी देय राशियों में छूट/मुलतवी करने की घोषणा के सरकारी आदेश प्रति प्रस्तुत करना।
4. फसल बीमा योजनान्तर्गत प्राप्त प्रतिपूर्ति यदि कोई हो तो उसका अनुपातिक हिस्सा नाबार्ड को भेजना।

(झ) संपर्क व्यक्ति :– श्री एन.एल. टण्डन, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, (साख), पंजीयक कार्यालय तेलीबांधा रायपुर।

(न) प्रारंभ की तारीख/अवधि :– यह योजना 1966–67 से क्रियाशील है।

(भ) क्रियान्वयन स्तर :– यह योजना 2000–20001 से केन्द्र सरकार के मेक्रो मैनेजमेन्ट में सम्मिलित की गई है।

विपणन संघ के गोदामों का निर्माण योजना :–

(अ) प्रकार :– निगम प्रवर्तित योजना

(ब) उद्देश्य :– राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर के गोदामों का निर्माण कर विपणन संघ के व्यवसाय के अनुरूप राज्य में भण्डारण क्षमता की वृद्धि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

(ग) मुख्य विशेषता :– राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के आर्थिक सहायता का योजनाबद्ध स्वरूप के अन्तर्गत गोदाम निर्माण हेतु कार्य योजना एन.सी.डी.सी से स्वीकृत कराकर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है । एन.सी.डी.सी. निम्न मदों में राशि राज्य शासन को ऋण उपलब्ध कराती है ।

(1) ऋण
(2) अंशपूंजी
(3) अनुदान

इस योजना में राज्य शासन को अनुदान मद का 50 प्रतिशत भाग का वहन करना पड़ता है शेष 50 प्रतिशत एन.सी.डी.सी. द्वारा उपलब्ध करायी जाती है ।

(घ) पात्रता :— राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर

(ड) आवेदन प्रक्रिया :— कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के अनुशंसा पर राज्य शासन एवं वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर योजना लागत (मदवार ऋण, अंशपूंजी एवं अनुदान) एन.सी.डी.सी. से स्वीकृत कराकर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

शक्कर कारखाना :—

सहकारी शक्कर कारखाना के स्थापना हेतु वित्तीय सहायता :— राज्य में फसल चक्र परिवर्तन को बढ़ावा देने एवं राज्य में औद्योगिक विकास सुनिश्चत करने हेतु सहकारिता क्षेत्र में सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित करने की योजना बनाई गई है। सहकारी शक्कर कारखाना की योजना निगम प्रवर्तित है। सहकारी शक्कर कारखाना स्थापना हेतु कुल लागत की फण्ड व्यवस्था निम्नानुसार होगी :—

(1) 10 प्रतिशत सदस्यों के अंशपूंजी प्राप्त करना
(2) 60 प्रतिशत वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण प्राप्त करना
(3) 30 प्रतिशत राज्य शासन से अंशपूंजी के रूप में प्राप्त करना

उक्त में से 30 प्रतिशत राशि एन.सी.डी.सी. से पुनर्वित्त प्राप्त कर सहकारी शक्कर कारखाना को निर्गमित की जाती है।

आवेदन की प्रक्रिया :—

शक्कर कारखाना स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य शासन के माध्यम से परियोजना की स्वीकृति के माध्यम से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने तथा स्वीकृति के आधार पर राशि एन.सी.डी.सी. से प्राप्त कर संबंधित संस्था को निर्गमित किया जाता है। यह राशि राज्य शासन को ऋण के रूप में प्राप्त होती है और ऋण का भुगतान भी एन.सी.डी.सी. को किया जाता है।

संपर्क व्यक्ति :— श्री पी0आर0 नाईक, अपर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पंजीयक कार्यालय तेलीबांधा रायपुर।

महिला सहकारिता की योजनाएं :—

(1) योजना का प्रकार :— केन्द्रीय क्षेत्रीय केन्द्र प्रवर्तित योजना

(2) उद्देश्य :— इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की जनभागीदारी सुनिश्चित करना एवं सहकारिता के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करना।

(3) मुख्य विशेषताएं :—

राज्य के महिला नागरिक सहकारी बैंकों को प्रबंधकीय अनुदान के रूप में प्रत्येंक महिला नागरिक बैंक को 1.00 लाख रूपये आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है । इस आर्थिक सहायता से बैंकों को अपना प्रबंधकीय व्यय करने में सहायता प्राप्त हो सके और बैंक व्यवसायिक लाभ अर्जित करने में सक्षम होती है।

राज्य के अन्य महिला सहकारी समितियों को केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत माइक्रो मेनेजमेंट के तहत केन्द्र से कार्ययोजना की 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 10 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है । केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि राज्य शासन को 80 प्रतिशत ग्रांट एवं 20 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है । इस राशि का उपयोग महिला सहकारी समितियों को 40 प्रतिशत अंशपूंजी 40 प्रतिशत ऋण एवं 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है।

(4) सहायता पद्धति :— जिला स्तरीय कमेटी जिसका अध्यक्ष संबंधित जिले का जिलाध्यक्ष है, से अनुमोदन कराकर उप/सहायक पंजीयकों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर कार्ययोजना स्वीकृति हेतु दिल्ली प्रेषित की जाती है। कार्ययोजना अनुमोदन पश्चात योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

(5) पात्रता :— राज्य के समस्त सहकारी संस्थाएं।

संपर्क व्यक्ति :— श्री एल.एल. देवान, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पंजीयक कार्यालय तेलीबांधा रायपुर।

कमजोर वर्ग की सहकारिता के लिए योजनाएं :—

केन्द्र प्रवर्तित योजना के प्रकार :—

(1) उद्देश्य :—

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग की सहकारिता को आर्थिक सहायता प्रदान करना

है। यह योजना केन्द्र के मेक्रो मेनेजमेंट योजना में सम्मिलित है। केन्द्र द्वारा निम्न लिखित वर्ग के सहकारी संस्थाओं को कमजोर वर्ग की सहकारिता के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

1. वन श्रमिक सहकारी समिति – (वनोपज सहकारी संस्थाएं)
2. रिक्शा चालकों की सहकारी संस्थाएं
3. धोबी वेंडर, नाई वर्ग से संबंधित सहकारी संस्थाएं

(2) विशेषताएं :– कमजोर वर्ग की सहकारी संस्थाओं की निम्नलिखित मदों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

1. अंशपूंजी 40 प्रतिशत
2. कार्यशील पूंजी 40 प्रतिशत
3. प्रबंधकीय अनुदान 20 प्रतिशत

(3) सहायता पद्धति :– जिला स्तरीय कमेटी जिसका अध्यक्ष संबंधित जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, से अनुमोदन करा कर उप/सहायक पंजीयकों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर कार्ययोजना स्वीकृति हेतु दिल्ली प्रेषित की जाती है। कार्ययोजना अनुमोदनार्थ पश्चात योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष योजनाएं :–

(1) हितग्राही/व्यक्ति मूलक :– इस योजना के तहत सहकारी समितियों से जुड़े अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को अनुदान/ऋण के रूप में आर्थिक सहायता संबंधित सहकारी समिति के माध्यम से दी जाती है।

योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

(1) अशंपूंजी क्रय हेतु अनुदान/ऋण – अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को विपणन सहकारी समिति, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं (पैक्स/लैम्प्स), जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अंशपूंजी क्रय हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है । वर्गवार राशि निम्नानुसार निर्धारित है।

		अनु.जाति	जन जाति
1.	विपणन सहकारी समितियों हेतु	500.00	500.00
2.	पैक्स/लैम्प्स हेतु	500.00	500.00
3.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हेतु	500.00	500.00

(2) पैक्स/लैम्प्स के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को उपभोग ऋण :–

यह योजना पैक्स/लैम्प्स से जुडे हुए अनु.जाति/जन जाति के सदस्यों को उनके सामाजिक उपयोग जैसे विवाह, मुण्डन संस्कार एवं अन्य सामाजिक कार्यों के लिए ब्याज रहित ऋण समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । इस योजना के तहत प्राप्त राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक स्तर पर रिवाल्विंग फण्ड के रूप में रखरखाव की जाती है । ऋणी से प्राप्त वसूली भी रिवाल्विंग फण्ड के रू५ में रखी जाती है एवं अनु.जाति/जनजाति के अन्य सदस्यों को भी उस फण्ड से ऋण प्रदाय कर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(3) अल्पावधि/दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज अनुदान :– व्यक्तिगत मूलक अल्पावधि/दीर्घावधि

इस योजना को लघु एवं सीमांत कृषकों को उनके द्वारा लिए गए अल्पावधि/दीर्घावधि ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदाय करने हेतु क्रियान्वित की जाती है । इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत पैक्स/लैम्प्स के लघु एवं सीमांत कृषकों को वितरित ऋण पर देय ब्याज का 4 प्रतिशत से अधिक के ब्याज भुगतान हेतु इन वर्गों के सदस्यों को अनुदान के रूप में राशि समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है । राशि का समायोजन इन वर्गों के सदस्यों के ऋण खाते में की जाती है।

2. सस्था मूलक योजना– अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के सहकारी समिति को आर्थिक सहायता हेतु विशेष योजना तैयार की गई है जिसके तहत सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता दी जाती है :–

प्रमुख योजनाएं :–

(1) प्राथमिक कृषि साख/कृषक सेवा (पैक्स/लैम्प्स) के अंशपूंजी में धनवेष्ठन शासन द्वारा अधिसूचित जाति/जनजाति जिलों एवं विकास खण्डों तथा माडा पाकेट क्षेत्रों के समितियों के अंशपूंजी में धनवेष्ठन हेतु नाबार्ड से ऋण प्राप्त की जाती है, और इस राशि का उपयोग इन क्षेत्रों के पैक्स/लैम्प्स का अंश (शेयर) क्रय करके राज्य शासन इन संस्थाओं की कार्यशील पूंजी में वृद्धि कर व्यवसायिक सहयोग प्रदान करती है।

(2) प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों के पुनर्गठन/अंशाधार सशक्त करने हेतु अंशपूंजी/अतिरिक्त अंशपूंजी में निवेश/लैम्प्स के अंशपूंजी में धनवेष्ठन।

यह निगम प्रवर्तित योजना है एन.सी.डी.सी. द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार आर्थिक प्रस्ताव राज्य शासन के माध्यम से एन.सी.डी.सी. को प्रेषित की जाती है और एन.सी.डी.सी. के स्वीकृति के आधार पर एन.सी.डी.सी. से पुनर्वित प्राप्त कर संस्थाओं को निर्गमित की जाती है।

(3) जनजाति सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान :–

शासन द्वारा अधिसूचित जनजाति क्षेत्रों के कृषि साख सहकारी समितियों (लैम्प्स) के प्रबंधकीय घाटे की पूर्ति आर्थिक सहायता/अनुदान के रूप में की जाती है । यह योजना मुख्यतः नवगठित/पुनर्गठित लैम्प्स के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ।

सहकारिता प्रचार प्रसार :–

इस योजनान्तर्गत सहकारिता के प्रचार प्रसार में जुडे राज्य सहकारी संघ एवं जिला सहकारी संघों को आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्यों हेतु राज्य सहकारी संघ को आर्थिक सहायता दी जाती है :–

1. अशासकीय व्यक्तियों के सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु अनुदान
2. कनिष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु
3. राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र हेतु
4. नवीन जिला सहकारी संघ के गठन हेतु ।

इस योजना के अंतर्गत राशि शत्प्रतिशत् राज्य आयोजना सामान्य द्वारा दी जाती है ।

सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं सहकारी संस्थाओं के लिए – ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार योजना

(1) प्रकार :– राज्य आयोजना सामान्य

(2) पुरस्कार राशि :– 2.00 लाख

(3) उद्देश्य :– सहकारिता क्षेत्र में जुडे लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन संस्थाओं को पुरस्कृत करना जो अपने उप विधि में वर्णित उद्देश्य के अध्यधीन कार्य करते हुए कमजोर, महिला एवं अनु.जाति/जन जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया हो।

(4) कार्य क्षेत्र :– संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य

(5) योजना का स्वरूप :– यह नवीन योजना है। सहकारिता को बढावा देने के लिए सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहित कर सहकारिता के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी द्वारा घोषणा की गई है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य हेतु राज्य शासन स्तर पर गठित कमेटी द्वारा पुरस्कारकर्ता व्यक्ति/सहकारी संस्था का चयन किया जाएगा ।

संपर्क :– कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ0ग0 दूरभाष क्र. 2442043।

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता की योजना –

(1) प्रकार – निगम प्रवर्तित

(2) उद्देश्य – एक परियोजना के माध्यम से किसी क्षेत्र/जिले के सहकारी संस्थाओं को ऋण, अंशपूंजी एवं अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर क्षेत्र/जिले के सहकारी विकास करना, योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

(3) मुख्य विशेषता –

(1) परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर एन.सी.डी.सी. की स्वीकृति प्राप्त करना ।

(2) परियोजना से संबंधित जिले के विभिन्न सहकारी संस्थओं को परियोजना के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।

(3) वित्तीय सहायता के रूप में अंशपूंजी, ऋण एवं अनुदान के रूप में जिले के सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(4) परियोजना के माध्यम से समितियों के गोदामों का निर्माण, पुराने गोदामों की मरम्मत, बैंकों एवं समितियों को लाकर्स/फर्नीचर फिक्चर उपलब्ध कराना, शीतगृहों का निर्माण, इत्यादि कार्य संपादित कराना ।

(4) सहायता पद्धति – एन.सी.डी.सी. की स्वीकृति के आधार पर क्षेत्र/जिला विशेष में परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है। एन.सी.डी.सी. निम्नानुसार मदों में राज्य शासन को ऋण उपलब्ध कराता है।

(1) ऋण

(2) अंशपूंजी (धनवेष्ठन/निवेश)

(3) अनुदान

अ– अनुदान मद का राज्य शासन का हिस्सा 50 प्रतिशत

ब– अनुदान मद का 50 प्रतिशत एन.सी.डी.सी.

एन.सी.डी.सी. से प्राप्त ऋण का निर्गमन परियोजना को एवं परियोजना के माध्यम से हितग्राही संस्थाओं को किया जाता है।

(5) पात्रता – राज्य के संपूर्ण जिले।

(6) संपर्क व्यक्ति – श्री एन0के0 सिंह, उप पंजीयक एवं नोडल अधिकारी, आई.सी.डी.पी. मानिटरिंग सेल पंजीयक कार्यालय तेलीबांधा रायपुर।